## न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड् जिला–बड्वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण कमाक 03 / 2011</u> संस्थन दिनांक 04.01.2011

जगदीश पिता बिसन प्रजापत आयु 53 वर्ष व्यवसाय— ईंट बनाना, निवासी— मुखर्जी मार्ग, अंजड़, तहसील अंजड, जिला — बडवानी म.प्र.

---- परिवादी

## वि रू द्व

नरेन्द्र पिता औंकार प्रजापत, आयु 40 वर्ष व्यवसाय — ईंट सप्लायर्स निवासी—मनावर, थाना मनावर जिला — धार म.प्र.

----अभियुक्त

## // <u>निर्णय</u> //

# (आज दिनांक 20.07.2015 को घोषित)

- 1. परिवादी द्वारा परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दिनांक 23.11.2010 को प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा मनावर में स्थित खाता क्रमांक 53046291617 दिनांक 30.06.2010 को परिवादी को अभियुक्त द्वारा रूपये 30,000 / (अक्षरी तीस हजार रूपये मात्र) का प्रथम प्रथम चेक क्रमांक 677272 एवं दिनांक 13.06.2010 को रूपये 37,400 / (अक्षरी सैतीस हजार चार सौ रूपये मात्र) का द्वितीय चेक क्रमांक 677279 का जारी किये जाने पर उक्त चैक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा नहीं होने के कारण अनादरित होने तथा उक्त धनराशि की मांग का सूचना पत्र परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा उक्त राशि भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

- परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी एवं अभियुक्त आपस में व्यक्तिगत रूप से परिचित होकर अभियुक्त ने परिवादी से रूपये 67,400 / - (अक्षरी सुनसट हजार चार सौ रूपये मात्र) रूपये की ईंट उधार क्रय की थी। उक्त रूपयों को वापस भुगतान हेतु अभियुक्त ने अपने खाता क्रमांक 53046291617 का उसे प्रथम चेक क्रमांक 677272 दिनांक 30.06.2010 का रूपये 30,000 / - तथा द्वितीय चेक क्रमांक 677279 दिनांक 13.09.2010 का रूपये 37,400/— का अपने हस्ताक्षर कर प्रदान किये थे, जो स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा मनावर के थे। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चेकों को भगतान प्राप्ति के लिए अपने खाते वाली बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अंजड़ में जमा किये थे, जहाँ से उक्त दोनों चेक भ्गतान हेत् बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मनावर को भेजा गया, जहाँ से भूगतान हेतू स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा मनावर भेजा गया, किन्तु अभियुक्त की फर्म की उक्त बैंक से भुगतान उसे प्राप्त नहीं हुआ तथा परिवादी के बैंक द्वारा उसे दिनांक 01.10.2010 को सूचित किया गया। अभियुक्त के खाते में चेक के भुगतान की पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसलिए परिवादी ने उक्त चेकों के अनादरण के 30 दिवस के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.10.2010 को सूचना पत्र प्रेषित कर चेकों की धनराशि की मांग की, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चेकों की राशि का भूगतान परिवादी को नहीं किया है, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।
- 4. परिवाद पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरूद्व परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.स. के परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया।
- 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 30.06.2010 को 30,000/— रूपये का प्रथम चेक क्रमांक 677272 एवं दिनांक 13.09.2010 को 37,400/— रूपये का द्वितीय चेक क्रमांक 677279 विधिक ऋण दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी किया था ?
  - 2. क्या उक्त चेक विधिमान्य अविध में बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादरित हो गये थे ?

### //3// <u>आपराधिक प्रकरण कमाक 03/2011</u>

3. क्या अभियुक्त ने परिवादी द्वारा उक्त धनराशि की मांग करते हुये पंजीकृत डाक द्वारा उसे दिये गये सूचना पत्र का निर्वाह स्वयं पर टाल दिया और उक्त राशि का भुगतान निर्धारित समयाविध में नहीं किया ?

### यदि हॉ, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. परिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परिवादी साक्षी जगदीश (परि.सा.1) के कथन कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

प्रकरण मे आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। जगदीश (परि.सा.1) ने परिवाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वह एंव अभियुक्त आपस में व्यक्तिगत रूप से परिचित है। परिवादी ईंट का निर्माण कार्य कर विक्रय करता है और अभियुक्त मॉ आशा ट्रेडर्स के नाम से मनावर में सप्लाई का कार्य करता है। अभियुक्त अपनी फर्म का एकमात्र प्रोप्रायटर होकर जवाबदार एवं उत्तरदायी व्यक्ति है। अभियुक्त ने उससे रूपये 67,400 / – की ईंटे उधार क्रय की थी और उक्त रूपयों के भुगतान हेतु उसे अभियुक्त ने अपने खाता क्रमांक 53046291617 का उसे प्रथम चेक क्रमांक 677272 दिनांक 30.06.2010 का रूपये 30,000 / -तथा द्वितीय चेक क्रमांक 677279 दिनांक 13.09.2010 का रूपये 37,400 / – के अपने हस्ताक्षर कर प्रदान किये थे, जो स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा मनावर के थे। उसने अभियुक्त द्वारा दिये गये चेकों को भुगतान प्राप्ति के लिए अपने खाते वाली बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अंजड़ में जमा किये थे, जहाँ से उक्त दोनों चेक भूगतान हेत् बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मनावर को भेजा गया, जहाँ से भूगतान हेतु स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा मनावर भेजा गया, किन्तु अभियुक्त की फर्म की उक्त बैंक से भूगतान उसे प्राप्त नहीं हुआ तथा उसे बैंक द्वारा उसे दिनांक 01.10.2010 को सूचित किया गया। अभियुक्त के खाते में चेक के भुगतान की पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसलिए उसने उक्त चेकों के अनादरण के 30 दिवस के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.10.2010 को सूचना पत्र प्रेषित कर चेकों की धनराशि की मांग की, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चेकों की राशि का भूगतान उसे नहीं किया है, इसलिए उसने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

8. परिवादी ने अपने समर्थन में अभियुक्त द्वारा उसे दिया गया चेक प्रदर्शपी 1 व 2, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा मनावर द्वारा दिया गया मेमा दिनांक 01.10.2010 प्रदर्शपी 3, बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ से जारी पत्र प्रदर्शपी 4, पूर्व में चेक कमांक 677272 अनादरित होने का मेमो प्रदर्शपी 5, सूचना पत्र प्रदर्शपी 6, पोस्टल रसीद प्रदर्शपी 7, यू.पी.सी रसीद प्रदर्शपी 8 तथा डाक विभाग को की गई शिकायत प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित की है।

अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि परिवादी ने स्वीकार किया कि वह ईंट का व्यवसाय पिछले 6-7 वर्षो से कर रहा है। वह अभियुक्त को 5 वर्षो तक माल देता था। अभियुक्त ने उससे 4 बार ईंटे ली, जिस समय उसने अभियुक्त को ईंटे दी उस समय ईटों का भाव 1,350 प्रति हजार ईंट थी। उसे नहीं मालूम की उसने अभियुक्त को कितनी ईंटे दी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त के पास हिसाब रहता था और बची हुई राशि का उसने चेक दिया था। परिवादी ने स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति को उधार सामान या पैसा देते है तो लिखा-पढ़ी उधार देने वाले को रखना पड़ती थी, लेकिन परिवादी ने स्पष्ट किया कि उसको अभियुक्त पर विश्वास था इसलिए उसने लिखा-पढ़ी नहीं की थी। लिखा-पढ़ी अभियुक्त के पास थी। परिवादी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन अभियुक्त उसकी जाति समाज का है और सकुबाई भी उसके रिश्तेदार नहीं है। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने सक्बाई के साथ बैंक में चेक लगाया था। परिवादी ने स्वीकार किया कि चेक की वापसी मेमो में क्या लिखा था उसे नहीं मालूम, लेकिन बैंक वालों ने कहा था कि कार्यवाही करो। परिवादी ने स्वीकार किया कि ईंट के भट्टे में एक बार में कभी 30 हजार तो कभी 40 हजार ईंट बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन वह भटटे के आकार पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा भट्टा है। साक्षी ने स्वीकार किया कि एक बार ईंट का भट्टा विक्रय करने पर 10 से 12 हजार रूपये का फायदा हो जाता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे अभियुक्त ने पहला चेक 30 हजार रूपये का दिया था जो अनादरित होने पर उसने अभियुक्त को सूचना दी तब अभियुक्त ने दूसरा चेक देकर कहा था कि दोनों चेक एक साथ बैंक में लगा देना। परिवादी ने स्वीकार किया कि उसने बैंक में चेक की जमा पर्ची न्यायालय में पेश नहीं की है। परिवादी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को चेक अनादरण का कोई सूचना पत्र नहीं दिया था, लेकिन स्पष्ट किया कि उसने अभियुक्त को फोन पर सूचना दी थी तब अभियुक्त ने कहा था कि उसे चेक भेज दिया है, अब परिवादी जाने। साक्षी ने यह ध्यान होने से इंकार किया कि उसके अधिवक्ता ने कोई सूचना पत्र प्रकरण में पेश किया है या नहीं। परिवादी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता है कि चेक अनादरण के कितने दिन बाद परिवाद न्यायालय में पेश किया जाता है। परिवादी ने स्वीकार किया कि चेक बाउंस होने के बाद अपने अधिवक्ता को चेक दे दिया था। पहला चेक अनादरण होने के बाद उसने अभियुक्त को ईंटे देना बंद कर दी थी। परिवादी ने स्वीकार किया कि ईंट भट्टा लगाने के लिए अन्य लोगों से उधार लेना पड़ता है। परिवादी

ने यह भी स्वीकार किया कि उसने लेन—देन का कोई भी हिसाब न्यायालय में पेश नहीं किया है। परिवादी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त का कोई हिसाब नहीं रखा है। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदशपी 1 के चेक पर हस्ताक्षर एवं हस्तलेख अलग—अलग स्याही से लिखे है। परिवादी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि उसने अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य किन्हें माल उधार दिया था, लेकिन परिवादी ने स्पष्ट किया कि उसने जिन व्यक्तियों को उधार माल दिया था उन व्यक्तियों ने राशि अदा कर दी है। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे अभियुक्त ने कोई चेक नहीं दिया था या उसने फर्जी चेक तैयार कर अभियुक्त के विरूद्ध असत्य परिवाद पेश किया है।

- इस प्रकार परिवादी के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी परिवादी की साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा अपने समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये है उनमें प्रदर्शपी 1 व 2 वह चेक है जो अभियुक्त के हस्ताक्षर से परिवादी के नाम से जारी किये गये हैं तथा उक्त चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हुए है, जिसका अनादरित मेमो प्रदर्शपी 4 एवं 5 भी परिवादी ने प्रमाणित कराया है तथा परिवादी के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को भेजे गये सूचना पत्र प्रदर्शपी 6 है, जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्शपी 7 एवं यूपीसी रसीद प्रदर्शपी 8 है। पंजीकृत डाक के सूचना पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति नहीं होने पर पोस्ट मास्टर अंजड़ को प्रदर्शपी 9 की शिकायत दर्ज कराई है। परिवादी की उक्त साक्ष्य का कोई भी खण्डन अभियुक्त की ओर से नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य का बार-बाार अवसर लेने के बाद भी अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियुक्त ने प्रदर्शपी 1 व 2 के चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार भी नहीं किया है तथा प्रदर्शपी 1 व 2 के चेक तथा अभियुक्त के न्यायालय की आदेश पत्रिका में किये गये हस्ताक्षरों का मिलान करने से भी उक्त हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि प्रदर्शपी 1 व 2 के चेक अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में दायित्व के अधीन जारी किया गया।
- 11. इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दायित्व के अधीन परिवादी को प्रदर्शपी 1 का चेक रूपये 30,000 / का तथा प्रदर्शपी 2 का चेक रूपये 37,400 का प्रदान किया जो परिवादी ने समयावधि में भुगतान प्राप्ति के लिए बैंक में प्रस्तुत किया था, जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित हुआ और उसका सूचना पत्र अभियुक्त को प्रेषित किये जाने के उपरांत अभियुक्त ने चेक की धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध है जो परिवादी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः न्यायालय अभियुक्त नरेन्द्र पिता औंकार प्रजापत, निवासी मनावर जिला धार को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दोषसिद्ध घोषित करता है।

- 12. अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त निर्धन एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा विचारण का नियमित रूप से सामना किया है। अतः सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाये तथा परीविक्षा पर रिहा किया जाये, लेकिन प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को तथा समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त नरेन्द्र पिता औंकार प्रजापत को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए 6 माह के साधारण करावास से दिण्डत करता है।
- 13. धारा 357 (1) द.प्र.स. के अंतर्गत अभियुक्त परिवादी को प्रतिकर तथा कार्यवाहियों के खर्चे के रूप में रूपये 80,000 / (अक्षरी अस्सी हजार रूपये मात्र) अदा करेगा। प्रतिकर की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त 6 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।
- 14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15. निर्णय की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला–बडवानी न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ जिला बडवानी (म0प्र0)

// धारा ४२८ दं.प्र.सं. के अंतर्गत//

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 399 / 2006 (गिरीराज विरूद्ध हुकुमचंद) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :— हुकुमचंद पिता पूनमचंद यादव निवासी— ठीकरी, जिला बड़वानी

गिवासी अवग्री, जिला बबुव

गिरफ्तारी का दिनांक :- निरंक

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- निरंक

(श्रीमती वन्दना

राज पाण्डे्य)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट अंजड़,

जिला-बड़वानी, म0प्र0